पटना में दिनांक–06 अप्रैल, 2018 शुक्रवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गयें :–

	कृषि विभाग		
1.	राज्य में पौधा संरक्षण योजनाओं के संचालन अनुश्रवण एवं निगरानी के लिये बिहार सरकार कृषि विभाग के अधीन संचालित पौधा संरक्षण योजनान्तर्गत के लिपिकीय संवर्ग की सेवा भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2018 के संबंध में।	1.	**स्वीकृत।**
	गृह विभाग		
2.	राज्य की विभिन्न काराओं में कारा चिकित्सा को सुदृढ़ बनाने हेतु एक्स–रे टेकनीशियन तथा लैब टेकनीशियन के पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	2.	**स्वीकृत।**
	नगर विकास एवं आवास विभाग		
3.	"किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017" में संशोधन की स्वीकृति।	3.	**स्वीकृत।**
	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग		
4.	भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए दर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए निर्गत विभागीय संकल्प सं०–2014 दिनांक– 21.08.2015 की कंडिका–3(ग) में अंकित "नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी" को अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों की वर्गीकरण सूची से हटाते हुए "स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी" पढ़ने की स्वीकृति के साथ अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों के समरूप निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।	4.	**स्वीकृत।**
	भवन निर्माण विभाग		
5.	सरकारी भवनों (आवासीय/गैर आवासीय) में विद्युतीकरण संबंधी कार्यों के सम्पादन हेतु भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत गैर योजना मद में ₹9,65,67,024/–(नौ करोड़ पैंसठ लाख सड़सठ हजार चौबीस रूपये) के अनुमानित वार्षिक व्यय पर एक (01) कार्य अंचल तथा सात (07) कार्य प्रमंडल के गठन सहित आवश्यक पदों का सृजन।	5.	**स्वीकृत।**
	वित्त विभाग		
6.	वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य सरकार द्वारा 19184.35 करोड़ रूपए बाजार ऋण सहित कुल 23635.42 करोड़ रूपए के ऋण उगाही की स्वीकृति।	6.	**स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

7.	बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन तथा सेवा संवर्ग की संख्या और संरचना के निर्धारण हेतु पदों का सृजन के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

8.	बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003 के नियम–11(3) को प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति।	8.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

9.	विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए भारत सरकार द्वारा 01. 01.2006 के प्रभाव से लागू षष्ठम वेतन पुनरीक्षण संकल्प में निहित अनुदेश के आलोक में राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति के पूर्व प्राप्त की गई पी॰एच॰डी॰ की उपाधी के एवज में 01.09.2008 के प्रभाव से प्रोत्साहन भत्ता (Incentive) के रूप में पाँच अग्रिम वेतन वृद्धि तथा सेवा काल में प्राप्त की गई पी०एच०डी० की उपाधि के एवज में दिनांक–01.09. 2008 के प्रभाव से प्रोत्साहन भत्ता (Incentive) के रूप में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमान्य करने की स्वीकृति के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

गृह विभाग

(कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय)

10.	बिहार राज्य की काराओं में अनुबंध पर नियोजित भूतपूर्व सैनिक–सह–कक्षपाल के मासिक मानदेय रू० 12,000/–(बारह हजार रूपये) से बढ़ाकर रू० 17,250/–(सत्रह हजार दो सौ पचास रूपये) करने की स्वीकृति के संबंध में।	10.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

11.	बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता–परीक्षाओं के लिए महिला अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित परीक्षा–शुल्क की स्वीकृति के संबंध में।	11.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

12.	"बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना" में सूचना प्रावैधिकी प्रबंधक के 02 (दो) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	12.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

13. BSHP-III (Bihar State Highway III Project) के अन्तर्गत कादिरगंज–खैरा पथ (SH-82) के पैकेज सं०–1, कि०मी० 0. 00 से 27.00 तक, पैकेज सं०–2, कि०मी० 27.00 से 54.00 तक एवं पैकेज सं०–3, कि०मी० 54.00 से 75.10 तक (कुल 75.10 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्‌टी कार्य, पुल–पुलिया निर्माण कार्य, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कार्य, सुरक्षात्मक कार्य, पथ फर्निचर कार्य, रख–रखाव कार्य, नाला निर्माण, Utility Shifting आदि कार्य सहित 2–लेन Paved Shoulder के साथ मानक संरचना के अनुरूप उन्नयन कार्य कुल 52364.50425 लाख (पाँच सौ तेईस करोड़ चौंसठ लाख पचास हजार चार सौ पच्चीस) रूपये के अनुमानित लागत पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 13. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

14. BSHP-III (Bihar State Highway III Project) के अन्तर्गत अकबरनगर–अमरपुर पथ (SH-85) के कुल 29.304 कि०मी० पथांश लंबाई में मिट्‌टी कार्य, सिमेंट कंक्रिट कार्य, पुल–पुलिया निर्माण कार्य, भू–अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कार्य, सुरक्षात्मक कार्य, पथ फर्निचर कार्य, रख–रखाव कार्य, नाला निर्माण, Utility Shifting आदि कार्य सहित 2–लेन Paved Shoulder सहित मानक संरचना के अनुरूप उन्नयन कार्य कुल 22071.93784 लाख (दो सौ बीस करोड़ इकहत्तर लाख तेरानवे हजार सात सौ चौरासी) रूपये के अनुमानित लागत पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 14. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

15. BSHP-III (Bihar State Highway III Project) के अन्तर्गत उदाकिशनुगंज–भटगामा पथ (SH-58) के कुल 29.48 कि०मी० पथांश लंबाई में मिट्‌टी कार्य, सिमेंट कंक्रिट पथ कार्य, पुल–पुलिया निर्माण कार्य, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कार्य, सुरक्षात्मक कार्य, पथ फर्निचर कार्य, रख–रखाव कार्य, नाला निर्माण, Utility Shifting आदि कार्य सहित 2–लेन Paved Shoulder सहित मानक संरचना के अनुरूप उन्नयन कार्य कुल 23415.69409 लाख (दो सौ चौंतीस करोड़ पन्द्रह लाख उनहत्तर हजार चार सौ नौ) रूपये के अनुमानित लागत पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 15. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

16.	BSHP-III (Bihar State Highway III Project) के अन्तर्गत बिहिया–जगदीशपुर बिहटा पथ (SH-102) के पैकेज सं०–1, कि०मी० 0.00 से 29.00 तक एवं पैकेज सं०– 2, कि०मी० 29.00 से 54.519 तक (कुल 54.519 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, सिमेंट कंक्रिट पथ कार्य, भू–अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कार्य, Utility Shifting कार्य, सर्विस पथ कार्य, पुल–पुलिया निर्माण कार्य, आर०ओ०बी० निर्माण कार्य, सुरक्षात्मक कार्य, रख–रखाव कार्य, नाला निर्माण एवं पथ फार्निचर आदि कार्य सहित 2–लेन Paved Shoulder के साथ मानक संरचना के अनुरूप उन्नयन कार्य कुल 50420.78627 लाख (पाँच सौ चार करोड़ बीस लाख अठहत्तर हजार छः सौ सत्ताईस) रूपये के अनुमानित लागत पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	16.	स्वीकृत।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

17.	पटना जिले के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन रू० 3,75,87,000/–(तीन करोड़ पचहत्तर लाख सत्तासी हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ योजना लागत में हुई वृद्धि के फलस्वरूप, अतिरिक्त राशि रू० 1,88,87,000/–(एक करोड़ अठ्ठासी लाख सत्तासी हजार रू० मात्र) का वहन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के द्वारा Corporate Social Responsibility के तहत किये जाने की स्वीकृति।	17.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

18.	बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय, जो 350 करोड़ रूपये है, को 30 मार्च, 2019 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 7079.61 करोड़ रूपये करने के संबंध में।	18.	स्वीकृत।